<u>लोक–सुनवाई का वृत</u>

मेसर्स रितेश कुमार सिंह, प्रस्तावक, श्री रितेश कुमार सिंह, पिता–श्री कृष्ण कुमार सिंह, पता–वार्ड नं0–13, बभनी टोला, जिला–मधेपुरा, के द्वारा बरनार नदी ब्लॉक–15 बालू घाट, मौजा–चांगोडीह, प्रखंड–गिद्धौर, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 14.07.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार गिद्धौर, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2338/2023, दिनांक 06.04.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना'' एवं ''दैनिक जागरण'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **13.06.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक–15 बालू घाट, मौजा–चांगोडीह, प्रखंड–गिद्धौर, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री रितेश कुमार सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–15 में 26.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 326040 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1245.10 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–15 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर ''वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गॉव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री रामचंद्र सिंह, ग्राम–चांगोडीह, जिला–जमुई के द्वारा गांव में सिंगल रोड होने तथा खेतों में नदी के जल से सिंचाई किये जाने की सूचना देते हुये बालू के गाड़ियों का परिवहन मार्ग निर्धारित करने एवं खनन से सिंचाई में बाधा न उत्पन्न हो इसकी व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया।	बालू लदे गाड़ियों का परिवहन गांव के बाहर के रास्ते से किया जायेगा। प्रस्तावक द्वारा नियमित रूप से सड़क का रख–रखाव कराया जायेगा। नदियों में बालू की मात्रा का अध्ययन कर पुनर्भरण रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वर्तमान में 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है। बालू की मात्रा कम होने पर दूबारा अध्ययन कराकर विचार किया जायेगा। खनन गतिविधि से सिंचाई में बाधा होने की आशंका नहीं है। शिकायतकर्ता के विचारों को सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखा जायेगा।
2.	श्री उपेन्द्र सिंह, ग्राम–चांगोडीह, जिला–जमुई के द्वारा प्रावधानों के मुताबिक खनन किये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे ग्रामीणों को नुकसान न हो।	नियम एवं प्रावधानों के मुताबिक खनन किया जायेगा।
3.	श्री पप्पू कुमार, ग्राम–दाबिल, जिला–जमुई के द्वारा वृक्षारोपण के बारे में जानकारी मांगी गई।	परिवहन में उपयोग होने वाले सड़क के दोनों तरफ, नदी के पास ऊंची जगह पर उपलब्ध स्थान तथा अन्य उपलब्ध स्थानों पर स्थानीय प्रजाती के वृक्ष लगाये जायेंगे।
4.	श्री दिवाकर कुमार, ग्राम–दाबिल, जिला–जमुई के द्वारा खनन में उपयोग किये जाने वाले गाड़ियों के आवागमन से विद्यालय में आने–जाने वाले बच्चों को दुर्घटना की आशंका व्यक्त करते हुए इसके निराकरण हेतु उपायों की जानकारी मांगी गई।	विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय पर गाड़ियों का परिवहन नहीं कराया जायेगा।
5.	श्री पवन कुमार, ग्राम–दाबिल, जिला–जमुई के द्वारा पुछा गया कि बालू के उठाव की समय–सीमा क्या है तथा बताया गया कि बच्चों के खेलने के जगह पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि परियोजना का रोडमैप, बालू उठाव की समय–सीमा तथा बालू किस मार्ग से ले जाना है तय किया जाय, बालू घाट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाय जिसमें परियोजना का विवरण तथा बालू उठाव संबंधी नियमों का उल्लेख हो।	प्रस्तावित परियोजना आने वाले 5 वर्षो के लिए है। DSR रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध बालू का आकलन करके प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है। प्रश्नकर्ता से सुझावों को सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तदनुसार इस पर अग्रतर कारवाई की जायेगी।

6.	श्री संजीव कुमार, गिद्धौर, जिला–जमुई के द्वारा बालू ढोने के दौरान सड़क पर बालू गिरने की सूचना देते हुये इसके रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपाय की जानकारी मांगी गई।	बालू उठाव में उपयोग होने वाले सड़कों की नियमित रूप से साफ–सफाई करायी जायेगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

14-7-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स रितेश कुमार सिंह, प्रो०-श्री रितेश कुमार सिंह, पिता-श्री कृष्ण कुमार सिंह, वार्ड नं०-13, बभनी टोला, जिला-मधेपुरा-852131 द्वारा जमुई बरनार नदी ब्लॉक 15 बालू घाट, मौजा-चांगोडीह, ब्लॉक-गिद्धौर, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 14.07.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार गिद्धौर, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ramdular Ram	Adm (P&R) Cum DPGRO Jamui	[signature] 14/7/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur B.S.P.C.B	[signature] 14-7-2023
3.	Aneesh Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 14/07/2023
4.	[illegible]	[illegible]	[signature] 14/07/2023
5.	Nitish Kumar	P&M Solution, Patna. (Env. consultant)	Nitish K.
6.	Ritesh kumar Singh रितेश	Madhepura	[signature]
7.	Gauri Shankar Singh	Gidhaur	[signature]
8.	Sanjeev Sah	Gidhaur	[signature]
9.	Rahul Singh	Changodih	Rahul
10.	Ravi Kumar	Changodih	[signature]

11.	PUSHPAK SINGH	Chandodiha	पुष्पक सिंह
12.	Rakesh mishra	Chandodiha	Rakesh mishra
13.	Balram kumar	//	Balram kumar
14.	Pappu Kr	Changodih	Pappu
15.	Pawan Kumar	Changodih	[signature]
16.	प्रेम राम	चांगोडीह	[signature]
17.	धीरज कुमार	चांगोडीह	धीरज कुमार
18.	Deepak Kumar	चांगोडीह	Deepak Kumar
19.	सनातन कुमार	चांगोडीह	सनातन कुमार
20.	Niraj Kumar	चांगोडीह	Niraj Kumar
21.	Amit Kumar	चांगोडीह	Amit Kumar
22.	Kundan Kumar	चांगोडीह	Kundan Kumar
23.	Sunil Kumar	Changodih	[signature]
24.	Gourav Choudhary	Gidhan	[signature]
25.	कुमार गौरव	चांगोडीह	[signature]

27.	[signature]
28.	[signature]

	सियाराम कुशवाहा	दाविल	सियाराम कुशवाहा
27.	रामा आशीष	[illegible]	रामा आशीष
28.	नागेन्द्र नाथ	चांगोडीह	नागेन्द्र
29.	राकेश यादव	चांगोडीह	राकेश यादव
30.	मुकेश कुमार	चांगोडीह	मुकेश कुमार
31.	हरेराम यादव	चांगोडीह	हरेराम यादव
32.	Manish Shu	Changodih	Manish
33.	BIRENDRA KUMAR	CHANGODIH	(signature)
34.	Md. Shamim	BSPCB Patna	(signature)
35.	[illegible]	चांगोडीह	[illegible]
36.	Sonu Singh	चांगोडीह	Sonu
37.	Upendra Singh	Changodih	(signature)
38.	Sanjay Singh	Bangodihi	Sanjay
39.	Ramchandra	Chagodih	Ramchandra Singh
40.			